342
75

संचिका संख्या-21/सू॰अ॰(न्याय)-98/2019 सा॰प्र॰ 15634

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

उदय कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी,

पटना–15, दिनांक 20.11.19

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-7(1) के तहत किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित माँगी जाने वाली सूचना विहित समयावधि के भीतर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-7(1) में यह प्रावधान है कि लोक सूचना पदाधिकारी यथा संभव शीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाय, या तो सूचना उपलब्ध करायेगा या धारा-8 और धारा-9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा। परन्तु, जहाँ माँगी गयी जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहाँ वह सूचना अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उक्त अधिनियम की धारा-7(1) के तहत माँगी गयी वैसी जानकारी, जिसका संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहाँ आवेदक द्वारा उपस्थित होकर आवेदन दिया जाय, अथवा वेब पोर्टल से प्राप्त हो, आवेदक को वांछित सूचना 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का निदेश अधीनस्थ सभी लोक सूचना पदाधिकारियों को देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
19/XI/19
(उदय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-21/सू॰अ॰(न्याय)-98/2019सा॰प्र॰ 15634 /पटना–15, दिनांक 20.11.19

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार सूचना आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/XI/19
सरकार के अपर सचिव।

Suchana aayog 230